सं0–2000/उन्तीस(2)/06–2(132पे0)/2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में केशव विद्या पीठ एवं माण्डूवाला क्षेत्र के लिए नलकूप निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3453/अप्रैजल–देहरादून/ दिनांक 10.10.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में केशव विद्या पीठ एवं माण्डूवाला क्षेत्र के लिए नलकूप निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन अनु0लागत रू0 94.51 लाख पर चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत टीएसी के परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 89.90 लाख (रू0 नवासी लाख नब्बे हजार मात्र) की लागत की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाय

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है

क्रमशः 2

अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदुपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी

8— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

10— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12— यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकारा कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

13— उक्त योजना का कियान्वयन पेयजल अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 738/उन्तीस/04–2(22पे0)2004, दिनांक 25 मार्च, 2006 में दी गई व्यवस्था (स्वैप) के अनुसार किया जायेगा।

14— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– आयोजनागत –102– ग्रामीण जलापूर्ति कार्यकम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

15— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 518/XXVII(2)/2007 दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 2000(1)/उन्तीस(2)/06–2(132 पे0)/2007तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

15/2007-03. 102